न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 121 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. जीवनराम पुत्र मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, बिलाड़ा तह0 बिलाड़ा जिला जोधपुर राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

1. श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित ।

–: निर्णय :– दिनांक – 09/06/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा मेव, प0ह0 मेव, भू0अ0नि0 क्षेत्र खारिया नींव तह0 सोजत में प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ख.नं. 539 रकबा 0.94 है0 किस्म बा0अ0 की आयी हुई स्थित हैं। उक्त भूमि में प्रार्थी माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार काश्तकार हैं। उक्त भुमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम जीवाराम अंकित है, जबकि प्रार्थी के संपुर्ण दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि में नाम जीवन राम अंकित हैं। प्रार्थी का नाम जीवन राम के स्थान पर जीवाराम दर्ज हो जाने से प्रार्थी का कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है व अन्य लाभो से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिये वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रार्थी का नाम जीवाराम के स्थान पर जीवन राम दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम जीवाराम के स्थान पर जीवन राम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा मेव में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 3 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सवूत पेश कर सावित करना तथा पैरा सं0 4 से 5 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा मेव,

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

प0ह0 मेव, भू0अ0नि0 क्षेत्र खारिया नींव तह0 सोजत में प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ख.नं. 539 रकबा 0.94 है0 किस्म बा0अ0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम जीवाराम के स्थान पर जीवन राम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाव बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रा0पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्थान राज पत्र साधारण के 05/06/2025 के अंक 10, जिल्द 77 पर नाम परिवर्तन की घोषणा बाबत प्रकाशित शपथ पत्र में जीवन राम व जीवाराम दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति हैं। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजी साक्ष्य यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम जीवन राम दर्ज हैं। अतः राजस्थान राज पत्र साधारण तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थी का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम जीवन राम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम जीवाराम के स्थान पर जीवन राम दुरूस्त इन्द्राज किया जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा मेव, प0ह0 मेव, भू0अ0नि0 क्षेत्र खारिया नींव तह0 सोजत में प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ख.नं. 539 रकबा 0.94 है0 किस्म बा0अ0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज प्रार्थी का नाम जीवाराम के स्थान पर जीवन राम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 09/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)